

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

दीवानी न्यायालय परिसर में वर्ष 2022-2023 के लिए नीलाम किये जाने वाले ठेका का विवरण:-

क्रम सं०	ठेका का विवरण	धरोहर धनराशि
1	न्यायालय परिसर में फल, लाई, चना, मूँगफली इत्यादि की बिकी हेतु ठेला लगाये जाने का ठेका	रु०- 10,000.00

स्थान दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में

नीलामी तिथि- 12.04.2022
समय- सायं 4.30 बजे

नीलाम की शर्तें

- 1- नीलाम की बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व ठेके की धरोहर धनराशि रु० 10,000.00 केवल नाजिर के पास नकद जमा करनी होगी।
- 2- अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली स्वीकृत होने की दशा में सम्पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।
- 3- ठेका नीलाम की शेष आधी धनराशि 1 माह के अंदर अर्थात अप्रैल माह 2022 के अंत तक जमा करनी होगी।
- 4- कोविड-19 के अन्तर्गत शासन एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा। उपरोक्त रिति में न्यायालय में प्रवेश निषेध अथवा अवकाश घोषित किये जाने के निर्देश जारी होने पर ठेके की धनराशि में कोई छूट नहीं होगी।
- 5- ठेका स्वीकार होने पर ठेकेदार को नियमानुसार एक अनुबंध पत्र ठेका धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पर जिला जज, हरदोई के नाम से निष्पादित करवाना होगा। ठेकेदार द्वारा स्टाम्प पेपर स्वयं करना होगा। ठेकेदार द्वारा पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित करवाने से संबंधित व्यय स्वयं वहन करना होगा।
- 6- ठेला फल, लाई, चना, मूँगफली इत्यादि बिकी हेतु वर्तमान न्यायालय सिविल जज जू०डि० पश्चिमी एवं हवालात के मध्य रिक्त स्थान पर ठेला रखना होगा।
- 7- ठेका फल, लाई, चना, मूँगफली इत्यादि बिकी हेतु समस्त सामान की सूची माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कराकर ही बिकी हेतु ठेला पर रख सकेगा।
- 8- ठेका जिस व्यक्ति को दिया जावेगा वह ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को सिकमी पर ठेका नहीं उठा सकेगा और न ही वह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को मुक्तिक्रिया कर सकेगा।
- 9- किसी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सुरक्षित होगा।
- 10- ठेका लेने वाला व्यक्ति ठेका वाले स्थान पर स्वयं साफ सफाई रखेगा एवं कूड़ेदान आदि रखेगा।

आङ्गा से

दिनांक- 23.03.2022

जनपद न्यायाधीश
हरदोई।

इश्तिहार की एक प्रति सिस्टम ऑफीसर कम्प्यूटर को माननीय उच्च न्यायालय की वेवासाइड एवं जनपद न्यायालय हरदोई की वेवसाइड पर प्रदर्शित करने एवं सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी जनपद हरदोई को दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित की जावे एवं एक-एक प्रति निम्न स्थानों पर चर्चा की जावे।

1. नोटिस बोर्ड जिला जज हरदोई।
2. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई।
3. नोटिस बोर्ड कार्यालय जिला परिषद हरदोई।
4. नोटिस बोर्ड कार्यालय नगर पालिका परिषद हरदोई।
5. सदर बाजार हरदोई।
6. रेलवे स्टेशन हरदोई।

जनपद न्यायाधीश,
रेलवे हरदोई।

23-03-2022